


22.1.21

पत्रावली पैग वही पत्रकार उपस्थित थी
बहरस विधान अधिवक्तागण समयपर सुनी गई।
पैगने बहरस विधान अधिवक्ता वादीगण का
कथन है, कि ग्राम चंचर की इमि पर
वादीगण की सही नाम अनिल व पुकीर
अंकित है, पान्बर ग्राम गुडाला की इमि
पर वादीगण का नाम रामलक्ष्मण की
का दिया है, जो गजल थी वादीगण


अधिवक्ता अधिकारी
रामलक्ष्मण

गुमस -

टीक
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हे रामलक्ष्मण नायक कोर्ट कोर्ट नहीं है।
वादीगण का नाम ही बाल्यावस्था में बोनल
नाम है कि वह रिया ही ग्राम चेंचर की
इमि में सही नाम अनुसार ही ग्राम गुजाना
में भी सही नाम अनिल व सुनील रंग
होने के कारण प्राम किया जावे।


विडान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का
कथन है, कि प्रतिवादीगण डाटा इकबालिया
जवाब प्रस्तुत किया गया है। वादीगण को
वैधिता अनुलोष देने पर प्रतिवादीगण
को आपत्ति नहीं है।

वादीगण डाटा स्वयं के शपथपत्र के साथ
उदर्य-1 व उदर्य-12A प्रस्तुत किया गया।

उदर्य-1 में ग्राम गुजाना की इमि खसरा
नम्बर 823, 828 व 838 किला 3 कवा 6.16 है।
पर वादीगण का नाम रामलक्ष्मण रंग है। तथा
ग्राम चेंचर की इमि पर अनिल व सुनील
रंग के दो नामों की इमि पर सापत्न्य
एवं बनाया सहायतादा कपीयन समारंभ
प्रतिवादीगण को वाद वादीगण लीका
होने में आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण को
डाटा इस क्रम इकबालिया जवाब प्रस्तुत
किया गया है।
राज्य स्मारक के अतिरिक्त रिकार्ड में

उपजुड अधिकारी
राज्य स्मारक
क्रम-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अवकाश हुकम की में जारी
	<p> तारीख का नाम अनिल कुमार एवं सुनील कुमार हैं। प्रकाश के उलावण पर सम्पन्न विचार किया। सहमति के आधार पर बाद तारीखों स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुडाला की इमि खलस मंठ 823, 828, 838 किला उरुवा 6.16 हेक्टर पर अंकित "रामलक्ष्मी" के खान पर "① अनिल कुमार ② सुनील कुमार" का नाम दर्ज किया जावे बकाया बरकरार। लड़कियां पिकी मुक्ति हैं। प्यावकी से निर्दिष्ट में गठना की जाकर बाद तारीख लक्ष्मी व लक्ष्मी प्रविष्ट लेख भंडार हैं। निर्णय आज दि 22.01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विद्वत् न्यायालय में सुनाया गया। </p>	


 (रमलक्ष्मी)
 I.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगजमण्डी

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे

(अंश 20, कल 8-7, जलवा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपावठ अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 व इजलास देशल राम I.A.S.

2019
00170

अनिल काट्टे नाम कन्यावाई काट्टे
 दाया वावत 88.89. R.F. Act. 1955

मुकद्दमा नं 114 मं 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूप-रु सुख देशल राम (I.A.S.)

वहाजरी श्री चंदन गुला एड. मिमजानिक मुद्दई व श्रीपवन गुला एड.

मिमजानिक मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

सहमति के आधार पर वाद वालीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश रिये
 जाते हैं कि ग्राम गुडाला की इमि खण नं 823, 828, 838 किला 3 (क) 6.16 ई. पर अंकित "रामलक्ष्मी" के खान पर ① अनिल कुमार ② सुनील
 कुमार का नाम रज किया जावे। बताया बदस्तूर

बीज ✓ मुवालाग ✓ वावत ✓

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सुद व पहर ✓ फासदी साखाना आज का तारीख

से तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 01 2021

को जारी की गई।

महर

दस्तखत [Signature]
 ओहदा उपावठ अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		खाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनुताना वकील पं.	
महनुताना अफीस		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फास कमिशनर	
फास कमिशनर		बावत इजराय हुकमनामा	
बावत इजराय हुकमनामा		मुतफरिफ	
मुतफरिफ				
श्रीमान....			मीजान		

नोट-इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, बाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो वा नहीं दर्ज करना
 पड़ती। वाद व्यय अपना-अपना करव ली

ख. कु. को. 120,000-1,00,000 खान

[Signature]
उपावठ अधिकारी
रामगंजमण्डी